


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर
संतरा बनाम तीजादेवी वगै०

केस संख्या : अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र 86/2020

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
16.09.2022		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष की प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराया उभयपक्ष द्वारा किये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस स्तर पहुंचा है कि चूंकि मूलवाद विभाजन से संबंधित है अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 84 रकबा 0.73 है०, 224 रकबा 0.47 है०, 236 रकबा 0.91 है०, 239 रकबा 0.12 है०, 240 रकबा 0.13 है०, 242 रकबा 0.45 है०, 42 रकबा 0.17 है०, 446 रकबा 1.40 है०, 461 रकबा 1.38 है०, 43 रकबा 0.03 है०, 44 रकबा 0.62 है०, 77 रकबा 4.79 है०, 195/1 रकबा 0.4950 है० वाके ग्राम राधापुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हों।</p>


सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

